



संख्या : / जी०एस०(शिक्षा) / A3-44(2)/2021

प्रेषक,

**डा० रंजीत कुमार सिन्हा,**  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,**  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

**राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड**

**देहरादून दिनांक 19 अक्टूबर, 2022**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या: 1814 दिनांक 04 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा यूनिटी लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को एल०एल०एम० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में 20 सीटों के साथ शैक्षिक सत्र 2020-21 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1.	यूनिटी लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर	एल०एल०एम० (द्विवर्षीय)	20 सीट	2020-21

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।

2- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा Society Registration Act के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation एवं Annual Balance Sheet के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

3- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

4- सम्बन्धित संस्थान द्वारा अध्ययनरत छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training)/Visit के लिये जिन समूहों, विभागों एवं कम्पनियों के साथ अनुबन्ध (MOU) किया गया है। तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जायेगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

 कमशः/-

: 2 :

5- संस्थान में भवन, पुस्तकालय एवं मूट कोर्ट सम्बन्धी मानक पूर्ण नहीं हैं। विश्वविद्यालय छात्र हित में संस्थान में भवन, पुस्तकालय एवं मूट कोर्ट सम्बन्धी मानक U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण करते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख/फोटोग्राफ सहित अनुपालन आख्या अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा अन्यथा की स्थिति में यदि अपूर्ण मानकों के कारण छात्रों के हित प्रभावित होंगे तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

6- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)  
कुलाधिपति के सचिव।

**संख्या : 2724 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A3-44(2)/2022 तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, यूनिटी लॉ कॉलेज, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)  
कुलाधिपति के अपर सचिव।